राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2006/2010/धौलपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
धौलपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हिना एण्टरप्राइजेज
धौलपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री जतिन हरजाई
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 25.02.1016

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–धौलपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 191/उपा–अपील्स/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2010 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन,भरतपुर द्वारा पत्रांक 1279 दिनांक 29.08.2005 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को अवगत कराया गया कि प्रत्यर्थी फर्म कर चोरी में लिप्त है और जब भी जांच की जाती है, वह बन्द मिलती है। नवाब बसई के व्यवसाय स्थल पर कोई व्यवसाय नहीं किया जाता है क्योंकि उक्त फर्म के नाम से राज्य के तेल निर्माताओं से तेल एस.टी. 17 (डी.फार्म) पर बिना कर चुकाये खरीद कर खेरागढ(उ.प्र.) के तेल व्यवसाय बिना कर चुकाये बिक्री करते हैं। उक्त तथ्यों की जानकारी में आने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वर्ष 2005–06 की प्रथम तिमाही विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाकर उसके पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। निरस्त किये गये पंजीयन प्रमाण के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2010 पारित कर पुनः पंजीयन प्रमाण पत्र बहाल करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 16.03.2006 को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2010 से निरस्त किया जाकर पंजीयन प्रमाण को बहाल करने के आदेश

जारी किये है, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 01.04.2010 पारित कर पंजीयन प्रमाण पत्र बहाल पारित कर दिया है इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है । अतः अपील सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा 2394/2006/धौलपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय,धौलपुर बनाम श्री मंगल एण्टरप्राइजेज,बसई जवाब,धौलपुर निर्णय दिनांक 03.09.2013 का न्यायिक दृष्टान्त को उद्धृत किया।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण निरस्त करने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर पंजीयन प्रमाण को बहाल करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2010 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड तथा उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2010 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर पंजीयन प्रमाण बहाल करने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2010 को बहाल कर दिया है, जो उचित नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना जांच किये ही अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना में बाध्य होकर पंजीयन प्रमाण को बहाल किया है।

विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करते हुए अपील ग्राउण्डस के पैरा 7 में तीन बिन्दु उठाये गये है,जिनकी जांच होना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :–

"That further, the Learned Applellate Authority while passing the impugned order dated 10.01.2010 has not considered the provisions of secton 24(4)(c)(d)& (e)of the RST Act,1994, which provide that the registration certificate of a dealer can be cancelled on the following grounds :-

(c) a dealer has ceased to be required to be registered and to pay tax under this Act, or

(d) a dealer has obtained the certificate of registration by misrepresentation of facts or by fraud, or

(e) a delaer has obtained a certificate of registration against the provisions of this Act.

विभाग अपील ग्राउण्ड्स में उठाये गये उक्त बिन्दुओं पर जांच होना आवश्यक है, जिसकी जांच किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने पंजीयन प्रमाण को बहाल किया है। अपीलीय अधिकारी को पंजीयन प्रमाण बहाल करते समय उक्त बिन्दुओं की

जांच के पश्चात ही पंजीयन प्रमाण बहाल करने के निर्देश देने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2010 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात पंजीयन प्रमाण के सन्दर्भ में विधि अनुसार कार्यवाही करें।

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं किया जाकर सीधे निर्देश दिये गये थे कि कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन प्रमाण को बहाल करें,जिसकी पालना में उन्होंने पंजीयन प्रमाण को बहाल किया है,इसलिए उनके द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है और विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण प्रतिप्रेषण के बिन्दु पर किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य